



कार्यालय पुलिस उपायुक्त कार्यालय, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी ।

प्रेस-नोट

दिनांक-10.12.2024

विषय:- थाना भेलूपुर पुलिस टीम द्वारा अपहृता को बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराधों की रोकथाम, चोरी/लूट की घटनाओं के सफल अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन के निर्देशन में, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर के नेतृत्व में थाना भेलूपुर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 0520/2024 धारा 137(2)/87/64 बीएनएस व 5(1)/6 पाक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त लल्लन राजभर पुत्र किशोरीलाल राय निवासी एन. 15/582 किरहिया सुदामापुर थाना वाराणसी उम्र 30 वर्ष को मोहल्ला सुअर बाड़ा इमिलीया थाना शिवपुर वाराणसी से दिनांक 09.12.2024 को नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया तथा अपहृता को बरामद किया गया जिसका दाखिला नियमानुसार थाना भेलूपुर के रो0आम0 में किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।

घटना का विवरण:- वादी मुकदमा की पुत्री/अपहृता उम्र 16 वर्ष घर से भगा ले जाने के सम्बन्ध में दाखिल किये, दाखिला प्रार्थना पत्र के संबंध में मु0अ0सं0 0520/2024 धारा 137(2)/87/64 बीएनएस व 5(1)/6 पाक्सो एक्ट पंजीकृत कराया गया।

विवरण पूछताछ:- लल्लन राजभर पुत्र किशोरीलाल राय निवासी एन. 15/582 किरहिया सुदामापुर थाना भेलूपुर वाराणसी उम्र करीब 30 वर्ष बदरियाफ्त पूछने पर बता रहे हैं कि सर मैं नाबालिक लडकी/अपहृता को बहला फुसला कर भगा ले गया था मुझे गलती हो गयी मुझे माफ कर दिजिए। मेरा यही बयान है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. लल्लन राजभर पुत्र किशोरीलाल राय निवासी एन. 15/582 किरहिया सुदामापुर थाना भेलूपुर वाराणसी उम्र करीब 30 वर्ष।

अपराधिक इतिहास (यदि हो तो)-

01. मु0अ0सं0 0520/2024 धारा 137(2)/87/64 बीएनएस व 5(I)/6 पाक्सो एक्ट थाना भेलूपुर कमि0 वाराणसी

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री विजय कुमार शक्ला थाना भेलूपुर कमि0 वाराणसी
2. उ0नि0 संदीप सिंह थाना भेलूपुर कमि0 वाराणसी
3. का0 आलोक रंजन थाना भेलूपुर कमि0 वाराणसी
4. म0का0 अंजली थाना भेलूपुर कमि0 वाराणसी

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त कार्यालय
काशी जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।